न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/31/2019	2019/00135	04.09.2019	28.06.2022

1. महेश चन्द पुत्र बदरी प्रसाद, जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढिगावडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 26.05.2015 नामान्तकरण संख्या 1448 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ

उपस्थितः–

01. श्री अजीत कुमार यादव – वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 26.05.2015 नामान्तकरण संख्या 1448 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2015 नामान्तकरण विरासत संख्या 1448 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर की अपीलान्ट के बदरी प्रसाद पुत्र हरगोविन्द जाति कुम्हार निवासी ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर का स्वर्गवास हो चुका है मृतक बदरी प्रसाद के नाम हाल आराजी खसरा न0 1109/2057 रकबा 0.08, 1126 रकबा 0.39, 1133 रकबा 0.38, 1134 रकबा 0.63, 1135 रकबा 0.06, 1136 रकबा 0.09, 1137 रकबा 0.24, 1138 रकबा 0.12, 1139 रकबा 0.13, 1140 रकबा 0.40, 1143 रकबा 0.26, 1144 रकबा 0.11, 1145 रकबा 0.05, 1146 रकबा 0.06, 1147 रकबा 0.09 कुल किता 15 रकबा 2.99 है0 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ का 1/4 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार था मृतक बदरी अपने जीवन काल तक अपने हिस्से की उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता रहा है तथा बदरी प्रसाद के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात प्रार्थी अपीलान्ट मृतक बदरी के साथ अन्य वारिसान काबिज होकर काश्त करतें हैं। अपीलान्ट के पिता बदरी की मृत्यु होने के पश्चात विरासत नामान्तकरण बाबत पटवारी हल्का को आवेदन पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का द्वारा मृतक बदरी की उपरोक्त आराजी का विरासत का नामान्तकरण संख्या 1448 दर्ज किया गया है जिसमें मृतक का सजरा दर्ज है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम महेश चन्द के स्थान पर दयाचन्द दर्ज कर दिया और उक्त नामान्करण को तहसीलदार राजगढ द्वारा दिनांक 26.05.2015 को स्वीकार कर फैसला कर दिया गया जो नामान्करण में प्रार्थी अपीलान्ट का नाम महेश चन्द के स्थान पर दया चन्द कर देने से प्रार्थी अपीलान्ट अपने नाम की हद तक उक्त फैसला दुरूस्त कराने का अधिकारी है। जिस बाबत अपीलान्ट द्वारा अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ को नामान्तकरण संख्या 1448 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ को फैसल करने से पूर्व मृतक के वारिसान का नाम पता की पूर्ण जांच करनी चाहिए थी और मृतक के वारिसान के नाम व पते के दस्तावेज लेने चाहिए थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच पडताल नहीं की गई जिसके कारण उक्त फैसला प्रभावित हुआ है। उक्त नामान्तकरण का फैसला से अपीलान्ट का नाम महेश चन्द के स्थान पर दया चन्द दर्ज कर देने से प्रार्थी अपीलान्ट के अधिकार बाबत खातेदारी प्रभावित हो गई है। इस कारण उक्त निर्णय रिमाण्ड किए जाने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 1448 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ का फैसला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2015 को पारित किया गया जिसकी अपील एक माह की अवधि में पेश करनी चाहिए थी लेकिन प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त गलती का इल्म दिनांक 15.07.2019 को हुआ जबकि प्रार्थी अपीलान्ट अपनी उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड लेने पटवारी हल्का के पास गया और अपीलान्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो मालूम चला की प्रार्थी अपीलान्ट का नाम महेश चन्द के स्थान पर दया चन्द दर्ज कर दिया जिस पर अपीलान्ट ने नामान्करण संख्या 1448 की नकल के लिए दिनांक 16.07.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो नकल नामान्तकरण संख्या 1448 दिनांक 17.07.2019 को प्राप्त हुई जिसे बिला देरी अपील पेश की जा रही है तथा अपील पेश करने में जो देरी हुई है जो मजबूरी व लाइल्मी के कारण हुई है जिसे कन्डोन किए जाने का प्रा0 प0 अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का पृथक से पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ का निर्णय दिनांक 26.05.2015 विरासत नामान्करण संख्या 1448 वाके ग्राम ढिगावडा को निरस्त कर अपीलान्ट का नाम दयाचन्द पुत्र बदरी प्रसाद के स्थान पर महेश चन्द पुत्र बदरी प्रसाद दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार राजगढ को रिमाण्ड किया जाकर अपीलान्ट का नाम दुरूस्त किया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 26.05.2015 को नामान्तकरण संख्या 1448 स्वीकार करते समय सहवन से अपीलान्ट का नाम दया चन्द दर्ज कर दिया गया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्यों भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में अपीलान्ट का नाम महेश चन्द अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

कार्ड, राशन काड के आधार पर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 26.05.2015 को स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 1448 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2015 नामान्तकरण संख्या 1448 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के सन्दर्भ में वारिसान की विधिसम्मत जांच कर एवं संबंधित पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/06/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)